फारम सं0-563

आदेश कार्रवाई क्रम टिप्पणी तथा	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
-23	अभिलेख उपस्थापित। महिपाल राम पिता स्व0 रामदुलार राम उर्फ दुलार राम, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुड़ु, डमर लॉज, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, टी.ओ.पी. बड़ा बाजार, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़ु, थाना नं0-147, खाता संख्या-56, प्लॉट संख्या-123, रकबा-0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि गीता देवी पति योगेन्द्र महतो पिता घुमेश्वर महतो, निवास स्थान ग्राम-आराहरा, पोस्ट-चेपाकला, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-758/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3989/रा0 दिनांक 03.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 649 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि - विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत फागु तेली वगै0 हैं। केवाला के अनुसार खरीदगी भूमि 19.50डी0 है तथा खतियान में भूमि का कुल रकबा 9.04 एकड़ है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 15.17डी0 है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-96/III पर मैना कुमारी पति दुलार राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदक की माँ जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 13.17डी0 भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में महिपाल राम पिता स्व0 रामदुलार राम उर्फ दुलार राम, निवास स्थान ग्राम-हुड्हुडु, डमर लॉज, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, टी.ओ.पी. बड़ा बाजार, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुडु, थाना सं0-147, खाता संख्या-56, प्लॉट संख्या-123, रकवा-0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि गीता देवी पति योगेन्द्र महतो पिता घुमेश्वर महतो, निवास स्थान ग्राम-आराहरा, पोस्ट-चेपाकला, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.05 12:06:21 +05:30
Location: 192.168.0.111